न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध संख्या 42/2012

प्रार्थीः—

1. श्रीमती राजकंवर बेवा शुभकरण जी जाति चारण, उम्र 95 वर्ष निवासी ग्राम चवरड़ा (रूपावास) तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम अप्रार्थीः—

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, पाली (राज.)

उपस्थितिः—

1. श्री मनोहर दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री केशर सिंह राठौड़, सरकारी पैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र धारा 111,127,128,131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

—:आदेशः— दिनांक 28.02.2020

1. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 06—12—2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया राजकंवर के कायम मुकाम गंगासिंह की ओर से निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी गंगासिंह की माता प्रार्थीया राजकंवर का देहान्त दिनांक 30/03/2017 को गांव रूपावास मे हो गया है जिस संदर्भ मे पूर्व मे प्रमाण पेश किया जा चुका है। प्रार्थीया राजकंवर के निम्न कायम मुकाम है—

1/1 अम्बादान पुत्र राजकंवर

1/2 आवड दान पुत्र राजकंवर

1/3 गंगासिंह पुत्र राजकंवर

1/4 हरी सिंह पुत्र राजकंवर जातिगण चारण, निवासीगण ग्राम चवरड़ा की ढाणी (रूपावास) तहसील पाली जिला पाली।

उपरोक्त कायम मुकाम मे से प्रार्थी गंगासिंह के पक्ष मे प्रार्थीया राजकंवर के जीवनकाल मे उक्त प्रकरण मे पैरवी करने हेतु खास मुखतियार दे रखा था तथा मृत्यु उपरान्त पैतृक कृषि भूमि बाबत प्रार्थीया द्वारा अपने पुत्र गंगासिंह के पक्ष मे पंजीयन वसीयत दिनांक 29—06—2011 को निष्पादित कर रखी है इस परिपेक्ष मे उक्त प्रकरण की पैरवी प्रार्थीया राजकंवर के बतौर कायम मुकाम प्रार्थी गंगासिंह ही करेंगे। इसलिये प्रार्थी गंगासिंह को उक्त प्रकरण मे बतौर प्रार्थी संयोजित किया जावे तथा प्रार्थीया के अन्य कायम मुकाम अम्बादान, हरीसिंह को बतौर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के रूप मे संयोजित किया जाना लाजमी है। इस प्रकार प्रार्थीया के सभी कायम मुकाम उपरोक्तानुसार रेकर्ड पर लिया जाना लाजमी है ताकि प्रकरण मे पैरवी की जाकर प्रकरण की सही तस्फीया हो सके।

Rohit

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया।

3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के द्वौरान निवेदन कि प्रार्थी गंगासिंह की माता प्रार्थीया राजकंवर का देहान्त दिनांक 30/03/2017 को गांव रूपावास मे हो गया है प्रार्थीया राजकंवर के निम्न कायम मुकाम है–

1/1 अम्बादान पुत्र राजकंवर

1/2 आवड दान पुत्र राजकंवर

1/3 गंगासिंह पुत्र राजकंवर

1/4 हरी सिंह पुत्र राजकंवर जातिगण चारण, निवासीगण ग्राम चवरड़ा की ढाणी (रूपावास) तहसील पाली जिला पाली।

उपरोक्त कायम मुकाम मे से प्रार्थी गंगासिंह के पक्ष मे प्रार्थीया राजकंवर के जीवनकाल मे उक्त प्रकरण मे पैरवी करने हेतु खास मुखतियार दे रखा था तथा मृत्यु उपरान्त पैतृक कृषि भूमि बाबत प्रार्थीया द्वारा अपने पुत्र गंगासिंह के पक्ष मे पंजीयन वसीयत दिनांक 29–06–2011 को निष्पादित कर रखी है इस परिपेक्ष मे उक्त प्रकरण की पैरवी प्रार्थीया राजकंवर के बतौर कायम मुकाम प्रार्थी गंगासिंह ही करेंगे। इसलिये प्रार्थी गंगासिंह को उक्त प्रकरण मे बतौर प्रार्थी संयोजित किया जावे तथा प्रार्थीया के अन्य कायम मुकाम अम्बादान, हरीसिंह को बतौर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के रूप मे संयोजित किया जाना लाजमी है। इस प्रकार प्रार्थीया के सभी कायम मुकाम उपरोक्तानुसार रेकर्ड पर लिया जाना लाजमी है ताकि प्रकरण मे पैरवी की जाकर प्रकरण की सही तस्फीया हो सके।

5. सरकारी पैरोकार ने बहस का जवाब देते हुये निवेदन किया कि वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 06–12–2017 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी की मृत्यु के 8 महीने के विलम्ब बाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु विलम्ब को माफ करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया जाना था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

6. बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 06–12–2017 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी की मृत्यु के 8 महीने के विलम्ब बाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अंतर्गत आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया जाना था।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर श्री मनोहरदास वैष्णव अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के वारिसान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

पत्र एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 18:22:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: